

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 12 अप्रैल, 2006/चैत्र 22, 1928(शक)

संख्या- 151

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-
“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री धर्म देव सोलंकी को सी.आर.पी.सी. की धारा 107/151 के अंतर्गत दिनांक 07.04.2006 को गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 12th April 2006/22 Chaitra 1928

No. 151

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, South West Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Dharam Deo Solanki, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 107/151CrPc, on 7.4.2006 and remanded to judicial custody for 14 days.

Siddharath Rao
Secretary